

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003582012

दांडिक प्रकरण क.-73/12

संस्थापित दिनांक-26.03.12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-कल्ला उर्फ कृष्णपालसिंह यादव पुत्र श्रीरामसिंह यादव आयु 20 वर्ष निवासी ग्राम सलोना, चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री मिर्जा अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 30.11.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279,337 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी गेंदाबाई ने दिनांक 04.02.12 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 04.02.12 को 05:00 बजे शाम को पुराना बसस्टेन्ड पर दाउ की होटल के पास चंदेरी में आरोपी ने अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए उसे टक्कर मार दी थी जिससे उसे पैर में चोट आई थी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 52/12 के अंतर्गत भादवि की धारा 279, 337 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196, 3/181 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र. सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 04.02.12 को समय शाम 5 बजे पुराना बस स्टेन्ड दाउ की होटल के पास चंदेरीमें वाहन क्रमांक एम पी 67 1654 मोटरसाइकिल को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त मोटरसाइकिल को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुए गेंदाबाई को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त
4. मोटरसाइकिल को बिना बीमा के चालन कर धारा 146 मोटर व्हीकल एक्ट के उपबंधों का उल्लंघन किया ?

क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर बिना डायविंग लायसेंस के वाहन का चालन कर धारा 3 मोटरयान अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशुद्ध एवं अंतर्वर्तित हैं। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 गेंदाबाई, अ.सा.2 मुन्नीबाई, अ.सा.3 सुल्तान, अ.सा.4 इन्दरसिंह, अ.सा.5 रामकिशोर, अ.सा.6 डॉ एस पी सिद्धार्थ, अ.सा.7 ओमप्रकाश की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई हैं।

07— अभियोजन साक्षी 01 गेंदाबाई ने अपने कथन में बताया है कि आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना शाम के समय की है। अ.सा.1 के अनुसार घटना के समय वह गोले के दूसरी ओर जा रही थी तब आरोपी मोटरसाइकिल लेकर आया और उसमें टक्कर मार दी जिससे उसे चोट आई थी। अ.सा.1 के अनुसार उसका सरकारी अस्पताल में इलाज हुआ था। अ.सा.1 के अनुसार आरोपी ने तेजी व लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसे सुल्तान ने आरोपी का नाम गलत बताया था। अ.सा.2 मुन्नीबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दाउ के होटल के पास की है। अ.सा.2 के अनुसार आरोपी की गाड़ी से उसकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया था जिससे उसके पैर में चोट आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी को पकड़ लिया था।

08— अ.सा.3 सुल्तान ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी को मुन्नीबाई के साथ मिलकर पकड़ा था।

अ.सा.4 इंदरसिंह जो कि जप्ती पत्रक प्र0पी05 एवं गिरफ्तारी पत्रका प्र0पी04 का साक्षी है पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी द्वारा इस तथ्य से इंकार किया है कि उसके समक्ष जप्ती की कोई कार्यवाही हुई थी। अ.सा.5 रामकिशोर द्वारा प्रकरण में नक्सा मौका प्र0पी06 तैयार किया गया है। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि प्र0पी06 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखवद्ध किये थे। अ.सा.7 प्रकाश ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्र0पी05 के अनुसार मोटरसाइकिल जप्त की गई। उक्त साक्षी के अनुसार उसे पूछताछ पर आरोपी का नाम पता चला था। अ.सा.6 डॉ एस पी सिद्धार्थ द्वारा प्रकरण में आहत गेदावाई का मेडिकल परीक्षण किया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट प्र0पी07 है। उक्त रिपोर्ट अनुसार आहत को उक्त दिनांक को दो चोटें आई थी।

09— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की फरियादी जो कि आहत भी है ने अपने कथन में स्पष्टरूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने मोटरसाइकिल से उसे टक्कर मारी थी जिससे उसे चोट आई थी। उक्त तथ्य का अनुसर्मथन अ.सा.2 एवं अ.सा.3 की साक्ष्य से भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि फरियादी के कथनों में ऐसा कोई विरोधाभास अभिलेख पर नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि फरियादी द्वारा प्रकरण में झूठे कथन दिये गये हैं। फरियादी के कथनों की संपुष्टि अ.सा.6 की साक्ष्य से हो रही है। अ.सा.6 जो कि मेडिकल विशेषज्ञ है की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आहत को उक्त चोटें आई थी। इस प्रकार फरियादी के कथनों से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया तथा आहत को टक्कर मारी गई जिससे उसे उपहति कारित हुई।

10— आरोपी की ओर से अभिलेख पर ऐसी कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झूठा मामला प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में जहां यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी जप्तशुदा वाहन को चालित कर रहा था वहीं आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आरोपी ने मोटरसाइकिल को वैद्य बीमा एवं वैद्य डायविंग लायसेंस के साथ चालित किया। उल्लेखनीय है कि अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया गया तथा आहत को टक्कर मारकर उपहति कारित की गई। प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा प्रकरण के जप्तशुदा वाहन को बिना वैद्य बीमा एवं बिना डायविंग लायसेंस के चालित किया गया। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 279, 337 एवं 146/196, 3/181 मोटरयान अधिनियम के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

11— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण समन विचारणीय है। अतः आरोपी को दंड के प्रश्न पर सुनने की आवश्यकता नहीं है।

12— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा किसी वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 279 के अपराध में 15 दिवस के साधारण कारावास एवं

500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगा। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 337 के आरोप में 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196 के आरोप में 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगा। आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के आरोप में 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 03 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगा प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

13— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मोटरसाइकिल क. एम पी 67 एम 1654 पूर्व से सुपुदर्गी पर है अतः सुपुदर्गीनामा निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

15— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

16— आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)